रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2000/कार्तिक 29, 1922
No. 265] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2000/KARTIKA 29, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2000

विषयः चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित खिलौनो के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करना

फा०सं० 54/1/2000-डीजीएडी.— निर्दिष्ट प्राधिकारी को विश्वस्त स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई है कि चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा जाएगा) मूल के अथवा वहां से निर्यातित खिलौनों का भारत में पाटन किया जा रहा है ।

1. **विचाराधीन उत्पादः** विचाराधीन उत्पाद हैं सॉफ्ट खिलौनों, यांत्रिक खिलौनों, बैटरी द्वारा चलने वाले खिलौनों, इलैक्ट्रानिक खेलों/खिलौनों इत्यादि समेत खिलौने (जिन्हें इसके बाद संबद्ध सामान भी कहा जाएगा) जो सीमा शुल्क शीर्ष 95.03 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं । लेकिन यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है । चीन जनवादी गणराज्य से आयातित संबंद्ध सामानों को प्रथम दृष्ट्या भारत में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित इसी सामान के समान वस्तुएं माना गया है ।

2. **पाटनः** संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य और भारत को इन सामानों की निर्यात कीमत के बारे में प्राधिकारी के पास प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं । तुलना करने पर, संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य उन कीमतों से अधिक है जिन पर इनका भारत को निर्यात किया गया है । इस बात से प्रथम दृष्ट्या संकेत मिलता है कि भारत में संबद्ध देश द्वार संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है ।

3.**क्षति एवं कारणात्मक संबंधः** विभिन्न मापदण्ड जैसे संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और कीमतों में कटौती प्रथम दृष्ट्या यह संकेत करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है । पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध संबद्ध देश से हुए पाटित आयातों का कीमतों में कटौती का प्रभाव प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य है ।

4. **जांच शुरु करना और जांच अवधिः** उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ संशोधन अधिनियम, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं शुल्क निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 5(4) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध समानों की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1.4.2000 से 30.9.2000 तक की है ।

5. **सूचना प्रस्तुत करनाः** भारत में संबद्ध सामानों के घरेलू विनिर्माता, संबद्ध देश के निर्यातक और भारत के आयातक संगत सूचना प्रश्नावली में निर्धारित प्रारुप में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और वेबसाइट http://commin.nic.in/doc पर उपलब्ध करा सकते हैं और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं-

निर्दिष्ट प्राधिकारी (पाटनरोधी)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वणिज्य विभाग
243, उद्योग भवन
नई दिल्ली-11001

6. नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को भी संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों की संबंधित प्रश्नावली भेजी जा रही है ताकि वे जांच आरंभ करने की इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में सूचना दायर कर सकें । चूंकि पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध कार्रवाई है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने उत्तर प्रस्तुत करने

के लिए हितबद्ध पक्षों को समय सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे ।

7. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी जांच से संबंधित अपना अनुरोध निर्धारित रुप एवं निर्धारित ढंग (उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध और पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय में भी उपलब्ध) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

8. **अगोपनीय सारांशः** सभी हितबद्ध पक्षों को पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार किसी गोपनीयता के बारे में प्रदत्त किसी सूचना का अगोपीय सारांश प्रस्तुत करना चाहिए । यह सूचना नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी ।

9. **सार्वजनिक फाइलः** नियम 6(7) के अनुसार रुचि रखने वाली कोई भी पार्टी निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

10. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2000

Subject: **Initiation of Anti Dumping investigation concerning imports of toys originating in or exported from People's Republic of China**

F. No. 54/1/2000-DGAD.— The Designated Authority has received information from reliable sources that toys, originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter also referred to as the subject country), are being dumped into India.

1. **Product under Consideration**: The product under consideration are toys including soft toys, mechanical toys, battery operated toys, electronic games/toys etc. (hereinafter also called as subject goods) classified under the Custom Head 95.03. The classification however is only indicative and is in no way binding upon the scope of the present investigation. The subject goods imported from People's Republic of China are prima-facie treated as

2. **Dumping:** There is sufficient prima-facie evidence available with the Authority with regard to the normal value of the subject goods in the subject country and their export price to India. On a comparison, the Normal Value of the subject goods is significantly higher than the prices at which it has been exported to India, indicating prima-facie that the subject goods are being dumped into India by the exporters of the subject country.

3. **Injury & Causal Link:** Various parameters such as the volume of imports from the subject country, the market share of the domestic industry and the price suppression, prima-facie indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of the subject goods. The causal link between the dumped imports and the material injury to the Domestic Industry is prima-facie evident from the price-undercutting effect of the dumped imports from the subject country.

4. **Initiation and Period of investigation**: The Authority, in view of the foregoing, initiates Anti Dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with Customs Tariff Amendment Act, 1995 and Rule 5(4) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995.

The period of investigation for the purpose of present investigation is 1.4.2000 to 30.9.2000.

5. **Submission of information**: The Domestic Manufacturers of the subject goods in India, the exporters in the subject country and importers in India may submit the relevant information in the form and manner prescribed in the Questionnaire and available at the Website http:\\commin.nic.in\doc. and make their views known to :-

The Designated Authority(Anti-Dumping)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
243, Udyog Bhawan
New Delhi -110011.

6. The Embassy of the subject country in New Delhi is also being supplied with the questionnaire relevant for the exporters/producers in the subject country so as to enable them to file the information in the prescribed format within 40 days from the date of publication of this Initiation Notification. Since Anti Dumping investigation is time-bound, the Designated Authority, in no circumstances, will grant extension of time to the interested parties for their response.

7. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (available at the Web-site indicated above and also available with the Directorate of Anti-Dumping & Allied Duties) within 40 days from the date of publication of this Notification.

8. **Non-confidential summary**: All interested parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2). This information will be subject to acceptance in terms of Rules 7(1) and 7(2).

9. **Public File:** In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limits set.

10. In case any interested refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

3184 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.